

प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.  
प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .....  
प्र0इ0रि0 सं. .... 83/22 ..... दिनांक. .... 9/3/2022
2. (I) अधिनियम ...पी0सी0 (संशोधन)एक्ट 2018 ..... धारायें. 7ए  
(II) अधिनियम भा0दं0सं0 ..... धारायें 120 बी  
(III) अधिनियम ..... धारायें .....  
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... 187 ..... समय . 6.30 P.M.  
(ब) अपराध घटने की दिनांक 08.03.2022 समय 11.20 ए.एम.  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय .....
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक :- लिखित
5. घटनास्थल :- कार्यालय उप पंजीयक, कलेक्ट्रेट परिसर जिला दौसा।  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- पूर्व- दूरी लगभग 60 किलोमीटर  
(ब) पता ..... बीट संख्या ..... जयरामदेही सं.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम श्री अमिताभ शर्मा  
(ब) पिता/पति का नाम स्व. श्री दीपांकर शर्मा  
(स) जन्म तिथि/वर्ष 30 वर्ष.....  
(द) राष्ट्रीयता भारतीय.....  
(य) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि .  
जारी होने की जगह .....  
(र) व्यवसाय -प्राइवेट कार्य  
(ल) पता - संस्कृत कॉलेज के पीछे नेहरू कॉलोनी लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा हाल-  
किरायेदार बी 308 मुकेश विद्यालय के पीछे लक्ष्मीनारायणपुरी थाना गलतागेट जयपुर।

ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-

- 1- श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिण्डु पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 43 साल निवासी चौधरी कॉलोनी दौसा पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा हाल डीड राईटर प्राइवेट व्यक्ति (दलाल) कार्यालय उप पंजीयक कार्यालय दौसा।
- 2- श्री दिनेश मीणा तत्कालीन उप पंजीयक जिला दौसा व अन्य
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- ..... कोई नहीं.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य 4000/-रुपयें।
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :

निवेदन है कि दिनांक 02.03.2022 को परिवादी श्री श्री अमिताभ शर्मा पुत्र स्व. श्री दीपांकर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 30 वर्ष निवासी संस्कृत कॉलेज के पीछे नेहरू कॉलोनी लालसोट थाना लालसोट जिला दौसा हाल- किरायेदार बी 308 मुकेश विद्यालय के पीछे लक्ष्मीनारायणपुरी थाना गलतागेट जयपुर ने उपस्थित ब्यूरो कार्यालय होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू.प्रथम जयपुर के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय कि प्रस्तुत कि की सेवा में श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. प्रथम जयपुर विषय रिश्तत लेते हुये को रंगे हाथो पकड़वाने के सम्बंध मे महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी अमिताभ शर्मा पुत्र श्री दीपांकर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 30 साल निवासी लालसोट दौसा संस्कृत कॉलेज के पीछे नेहरू कॉलोनी लालसोट का रहने वाला हूँ। मेरे फादर की प्रोपर्टी भूखण्ड H-5 RIICO है मेरे फादर की मृत्यु कोरोना के दौरान हुई 2-9-20 मे उसके दौरान भूखण्ड H-5 को मेरे माताजी श्रीमती कांता शर्मा के नाम स्थान्त किया गया RIICO विभाग द्वारा 2 बार पंजियन किया जाता है प्रथम बार जब पंजियन हुआ तब 4000/- की मांग की गयी थी लेकिन मैने दिये नहीं थे द्वितीय बार जब भूखण्ड H-5 RIICO की रजिस्ट्री



करवाने के लिये मेरी माता श्रीमती कांता शर्मा मेरे बड़े पापा मधुसुदन शर्मा और दो गवाहों को लेकर गया वहां पर मुझे विनोद गुप्ता पंजीयन कार्यालय दौसा उपस्थित मिला जिसने मेरे से उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री हेतु 8000 की मांग की जिसमें 4000/- कम्प्यूटर Opetor. के नाम से 4000 रुपये मेरे से दिनांक 28.02.2022 आकर बुलाने की मांग की जा रही है और किसी प्रकार की आपसी रजिस नहीं है ना मेरी उधारी है मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप कानूनी कार्यवाही करे दिनांक 02/03/2022 भवदीय एस.डी. अमिताभ शर्मा 9587130123 संस्कृत कॉलेज के पीछे कॉलोनी लालसोट दौसा 303503

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् नरेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री अमिताभ शर्मा पुत्र स्व. श्री दीपंकर शर्मा उम्र 30 साल वार्ड नम्बर 19 नेहरू कॉलोनी संस्कृत कॉलेज के पीछे लालसोट दौसा थाना लालसोट दौसा के रूप में परिचय करवाते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अमिताभ शर्मा को अपने साथ लेकर कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू. प्रथम के नाम संबोधित किया गया है मजीद दरियाफत पर परिवादी श्री अमिताभ शर्मा ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है तथा इसमें अंकित तथ्य सही है।

परिवादी ने मजीद दरियाफत पर बताया कि मेरे पिताजी स्व. श्री दीपंकर शर्मा पुत्र स्व. श्री छोटेलाल शर्मा व मेरे ताउजी श्री मधुसुदन शर्मा के नाम रीको दौसा में एच 5 बीएसएनएल टावर के सामने भूखण्ड स्थित है उक्त भूखण्ड सामलाती है उक्त भूखण्ड पर हमारा प्रोपर्टी सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है उक्त भूखण्ड वर्तमान में मेरी माताजी श्रीमती कान्ता शर्मा व मेरे ताउजी श्री मधुसुदन शर्मा के नाम आधा-आधा है। उक्त भूखण्ड का रीको द्वारा दो बार पंजीयन होता है जिसके सम्बन्ध में पंजीयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा की गई है। इस सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क जमा कराया जा चुका है व उक्त भूखण्ड के विक्रय पत्र के निष्पादन के सम्बन्ध में मेरी माताजी व गवाहों के समक्ष उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 28.02.2022 को समस्त कार्यवाही की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में मैं दिनांक 28.02.2022 को समस्त पंजीयन शुल्क जमा कराने के उपरान्त भी वहां पर कार्यरत श्री विनोद गुप्ता ने मेरे से 8000/- रुपये रिश्वत की मांग की। जिस पर मैंने 4000 रुपये उसको दे दिये थे व मेरा पंजीयन विक्रय पत्र देने के लिये कहा तो श्री विनोद गुप्ता ने पूरे पैसे देने के उपरान्त ही पंजीकृत विक्रय पत्र देने के लिये कहा व बताया कि मेरी श्री विनोद गुप्ता से किसी प्रकार की कोई रजिश्त नहीं है न ही कोई पैसे का लेनदेन शेष है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफत से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया गया लेकिन परिवादी ने व्यस्त होना बताया। दिनांक 03.03.2022 को परिवादी उपस्थित कार्यालय आने पर श्री रविन्द्र कुमार कानि को तलब कर उनका आपस में परिचय करवाया गया तथा कार्यालय हाजा की आलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री अमिताभ शर्मा को संदिग्ध द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा श्री रविन्द्र कुमार कानि नं. 467 को वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी श्री अमिताभ शर्मा जब रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में संदिग्धों के पास वार्ता करने जाये तो उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करें, लेकिन उक्त दिनांक को परिवादी को कोई निजी कार्य होने से सत्यापन में नहीं गया। दिनांक 04.03.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. श्री रविन्द्र कुमार से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया गया तो कानि. रविन्द्र ने बताया कि परिवादी श्री अमिताभ का मेरे पास फोन आया था जिसने बताया है कि मैं थोड़ी देर में आगरा रोड पर आपको मिल जाऊंगा। उक्त दिनांक को बाद सत्यापन परिवादी श्री अमिताभ शर्मा एवं श्री रविन्द्र कुमार कानि० कार्यालय में उपस्थित आये। श्री रविन्द्र कुमार कानि० ने उसको पूर्व में सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को पेश कर अवगत करवाया कि मैं और परिवादी श्री अमिताभ शर्मा आगरा रोड पर खानियां बस स्टॉप पर मिले जहां से रवाना होकर कार्यालय उप पंजीयक दौसा पहुंचे, जहां परिवादी को वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया था। परिवादी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया था तथा मैं परिवादी व एक व्यक्ति को दृष्टिगत स्थान से वार्ता करते हुए देख रहा था। परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाके दिया था जिसे मैंने बन्द किया था। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री रविन्द्र कुमार कानि० की बातों की ताईद करते हुए बताया कि आगरा रोड खानियां बस स्टॉप से मोटरसाईकिल पर रवाना होकर कार्यालय उप पंजीयक दौसा पहुंचे जहां पर मुझे कार्यालय उप पंजीयक दौसा में विनोद मिला जिससे मैंने हमारे भूखण्ड की रजिस्ट्री मांगी तो वह मुझे अपनी कार के पास ले गया व उक्त रजिस्ट्री को देने के लिये पूर्व की मांग के अनुसार 4000/- रुपये देने के लिये कहा, जिस पर मैंने मेरी माताजी की बीमारी का बहाना करके वहां से आ गया। मेरे और विनोद के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोड़कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना पाया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मेरी आलमारी में रखा गया। परिवादी श्री अमिताभ शर्मा को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा गया तो परिवादी ने अवगत करवाया कि शेष राशि 4000 /- रुपये मैं आईन्दा कार्यालय में लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। दिनांक 07.03.2022 को पूर्व से पाबन्दशुदा श्री धर्मेन्द्र मीणा हाल पर्चा वितरक नगर निगम ग्रेटर जयपुर व श्री हेमचंद कुमावत पुत्र हाल फायर मैन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर व परिवादी श्री अमिताभ शर्मा भी उपस्थित कार्यालय आये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को कार्यवाही हेतु गवाहान बनने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति जाहिर की जिस पर परिवादी व गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया व स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा लिखा गया प्रार्थना पत्र पढ़कर सुनाया जिस पर दोनों गवाहान ने हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष



परिवादी श्री अमिताभ शर्मा व संदिग्ध आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिन्दू कार्यालय उप पंजीयक दौसा के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दिनांक 04.03.2022 को हुई वार्ता को परिवादी के द्वारा डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था उक्त डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से सुरक्षित निकाल कर चालु कर रिकॉर्ड वार्ता को गवाहान की उपस्थिति में कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चालु कर सुना जाकर रिश्वत की मांग के सम्बन्ध में की गई वार्ता की शब्द ब शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। जिस पर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.03.2022 मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व सीडी मार्क "ए", "ए-1" व तीसरी सीडी पर मार्क ए-2 अंकित किया जाकर मार्क ए व ए-1 सीडीयों दो प्लास्टिक के सीडी में रखकर कपड़े की थैलियों में पृथक पृथक दुरस्त रखकर शील्ड मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी लिया व तीसरी सी.डी. मार्क ए-2 को अनुसंधान अधिकारी के लिये खुली रखी गयी। दिनांक 08.03.2022 को दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी के उपस्थित आने पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अमिताभ शर्मा पुत्र स्व श्री दीपकर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 19 नेहरू कालोनी संस्कृत कॉलेज के पीछे लालसोट दौसा हाल किरायेदार बी-308 मुकेश विधालय के पीछे लक्ष्मीनारायण पुरी थाना गलता गेट जयपुर को संदिग्ध आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिन्दू को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री अमिताभ शर्मा ने अपने पास से 500-500 रुपये के आठ नोट भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 4,000/- रुपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिन पर श्री शिवशंकर वरिष्ठ सहायक से कार्यालय हाजा की आलमारी से फिनोपथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोपथलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री अमिताभ शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री धर्मेन्द्र मीणा से लिवाई जाकर परिवादी श्री अमिताभ शर्मा की पहनी हुई शर्ट की सामने की बाई तरफ की जेब में रखवाये गये। रासायनिक प्रक्रिया का महत्व समझाया गया। परिवादी को डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोपथलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 08.03.2022 समय 11.00 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ट्रैप पार्टी सदस्य श्री बहादुर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, श्री उदयभान मुख्य आरक्षी, श्रीमती गीता फौजदार मकानि, श्री संजय कुमार कानि, मय सरकारी वाहन मय चालक व श्री रमेश चन्द मुख्य आरक्षी, श्री रविन्द्र कुमार कानि., श्री राजकृष्ण कानि., मय प्राइवेट वाहन मय ट्रैप बाक्स, लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु दौसा के लिये रवाना होकर दौसा पहुँचे व परिवादी श्री अमिताभ शर्मा को संदिग्ध आरोपी श्री विनोद गुप्ता को रिश्वत राशि देने के लिये रवाना कर जाल बिछाया गया।

परिवादी श्री अमिताभ शर्मा ने समय 12.58 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक को सिर पर दो बार हाथ फेर निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान के रवाना होकर उप पंजीयक कार्यालय जिला दौसा के बाहर पहुँचे जहाँ पर वाहनो को साईड में खड़ा कर उक्त पंजीयक कार्यालय में प्रवेश करने पर परिवादी श्री अमिताभ शर्मा मुख्य गेट के पोर्च पर खड़ा मिला जिसके पास पहुंचकर डिजिटल वॉर्ड्स रिकॉर्डर प्राप्त किया गया। परिवादी के पीछे पीछे ही तोता कलर का शर्ट व काले रंग की पेन्ट पहने हुए चैनल गेट से एक गठीले बदन का व्यक्ति बाहर आता हुआ मिला जिसकी तरफ परिवादी श्री अमिताभ शर्मा ने ईशारा कर बताया कि यही विनोद गुप्ता उर्फ पिन्दू है जिन्होंने आज दिनांक 08.03.2022 को मेरे से मेरे माताजी व मेरे ताउजी के नाम भूखण्ड संख्या एच 5 औद्योगिक क्षेत्र जिला दौसा की पंजीकृत/लीज डीड/ रजिस्ट्री/ पूरक पट्टा समझौता देने के लिए मुझे उप पंजीयक कार्यालय दौसा बुलाया था जहाँ पर मैंने आज पहुंचकर श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिन्दू को कॉल किया तो उन्होंने 15-20 मिनट बाद आने के लिए कहा गया कुछ समय पश्चात ये अपनी वेगनार कार से आये तथा उप पंजीयक कार्यालय मिले जहाँ पर मेरी पूरक पट्टा समझौता का पंजीकृत दस्तावेज देने के लिए पैसों के लिए कहा तो मैंने कहा कि कुछ कम करो तो आरोपी ने दोनों हाथों से गिनकर मेरे से 3,000/- रुपये प्राप्त कर अपनी पहनी पेन्ट की बायी साईड की पीछे वाली जेब में रख लिये व मुझे मेरे परिवारजनों के नाम रीको के भूखण्ड संख्या एच 5 के पूरक पट्टा समझौता के पंजीयन रसीद नम्बर 202202071001842 दिनांक 28.02.2022 की पंजीकृत शुदा एक मूल व मूल की प्रमाणित तृतीय प्रति मुझे दी गई। इसके पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने तोता कलर का शर्ट व काले रंग की पेन्ट पहने हुए व्यक्ति को डिटेल कर हमरा लेकर मन पुलिस निरीक्षक ने अपना विभागीय परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व हमराहियान व परिवादी का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करवाया व नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिन्दू पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 43 साल निवासी चौधरी कॉलोनी दौसा पुलिस थाना कोतवाली हाल डीड राईटर उप पंजीयक कार्यालय दौसा होना बताया।

मन पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री विनोद गुप्ता को परिवादी श्री अमिताभ शर्मा की ओर ईशारा कर बताया कि आपने अभी अभी श्री अमिताभ शर्मा की माता व ताउजी के रीको में स्थित भूखण्ड संख्या एच 5 का पूरक पट्टा समझौता का पंजीकृत दस्तावेज देने के लिए 8,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 28.02.2022 को 4,000/- रुपये परिवादी से प्राप्त किये हैं व दिनांक 04.03.2022 को शेष 4,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर अपनी मांग के अनुशरण में आज दिनांक 08.03.2022 को परिवादी श्री अमिताभ शर्मा से शेष 4,000/- रुपये रिश्वत राशि में से 3,000/- रुपये अपने दोनों हाथों से तहसीलदार/ उप पंजीयक व अन्य के लिए प्राप्त कर अपने पहने हुए पेन्ट की पीछे वाली बायी साईड की जेब में रखी है क्या ? इस पर आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिन्दू नीचे देखने लगा व सोच विचार कर बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली। श्री अमिताभ शर्मा आज दिनांक 08.03.2022 को मेरे पास उप पंजीयक कार्यालय दौसा पर आये और मुझे कहा कि ये लो आप 3,000/- रुपये डीड व वसीयत की मजदूरी ले लो मेरी माता की तबियत खराब है। दिनांक 28.02.2022 को मेरे से 3000/- रुपये उधार लेकर गया था इसलिए मैंने लिये थे तथा इसकी



वसीयत भी मेरे द्वारा तैयार की जानी थी। जिस पर परिवादी श्री अमिताभ शर्मा ने बताया कि श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू झूठ बोल रहे हैं यह उप पंजीयक कार्यालय जिला दौसा में दलाली का कार्य करते हैं मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 02.09.2020 को हुई थी उनके नाम रीको में स्थित भूखण्ड संख्या एच 5 का दो बार रीको द्वारा पंजीयन करवाया जाकर नाम हस्तांतरित किया जाता है। प्रथम बार मेरी माता व ताउजी के नाम पंजीयन/पूरक पट्टा समझौता हुआ तब श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू ने 4,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग उप पंजीयक/ तहसीलदार व अन्य स्टॉफ के लिये की थी लेकिन मैंने उक्त राशि नहीं दी थी। द्वितीय बार रजिस्ट्री/ पूरक पट्टा समझौता दिनांक 28.02.2022 को उप पंजीयक कार्यालय में मेरी माता श्रीमती कांता शर्मा व ताउजी श्री मधुसुदन शर्मा के नाम पंजीयन करवाया गया। उक्त दिनांक को श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू ने मेरे से 8000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी व 4000/- रुपये उसी दिन मेरे से प्राप्त कर लिये थे दिनांक 02.03.2022 को मैंने एसीबी में 4000/- रुपये रिश्वत राशि आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने के संबंध में शिकायत की थी। आज दिनांक 08.03.2022 को आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू ने मेरी माता व ताउजी के नाम पंजीकृत पूरक पट्टा समझौता/लीज डीड देने के लिए शेष रिश्वत राशि 4000/- रुपये में से 3000/- रुपये प्राप्त कर लिये तथा 1000/- रुपये मेरे पास रखे हुए हैं।

इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने हमरा जाप्ते में से कानि रविन्द्र कुमार कानि से पानी मंगवाकर स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष ट्रेप बॉक्स मे से दो साफ कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर कांच के गिलास मे पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट की दो चम्मच डालकर मिश्रण तैयार कर उपस्थित गवाहान्, परिवादी व हमराहियान को दिखाया तो रंगहीन होना बताया व स्वीकार किया। उक्त एक गिलास मे श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू के दाहिने हाथ की अंगुलिया व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। जिसको दो कांच की सीसीयों को साबुन व पानी से साफ धुलवाकर सीसीयों मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया व इसी प्रकार दूसरे कांच के पानी के गिलास मे उक्त प्रक्रिया अपनाई जाकर श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू के बाये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को गिलास मे डुबोकर धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो कांच की सीसीयों को साफ साबुन व पानी से धुलवाकर सीसीयो में आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया।

इसके पश्चात् आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू को परिवादी श्री अमिताभ शर्मा से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने अपनी पहनी हुई पीछे की बायीं साईड की जेब में रखी होना बताया जिस पर गवाह श्री धर्मेन्द्र से आरोपी के पहनी हुई पेण्ट की बायीं साईड की पीछे की जेब की तलाशी लिवाई जाने पर 500-500 रुपये के 6 नोट निकालकर प्रस्तुत किये गये जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि व दृष्टांत से करवाई जाने पर हुबहु होना पाये गये। जिस पर परिवादी के पास रखे 1000/- रुपये को प्रस्तुत करने के लिए कहा तो परिवादी ने उक्त राशि अपने पहने हुए शर्ट की उपर की जेब में रखी होना बताकर 500-500 रुपये के दो नोट प्रस्तुत किये जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी व दृष्टांत से करवाया जाने पर 500/- रुपये का एक नोट नम्बर 2AH345000, व 500/- रुपये का एक नोट नम्बर 0BV912072 कुल राशि 1000/- रुपये होना पाया जाने पर उक्त सभी नोटों को एक सफेद कागज की चिट लगा कर शिल्ड कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जे ए.सी.बी. लिये गये।

इसके पश्चात बाजार से एक पायजामा मंगवाया जाकर आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू की सम्मानजनक पेंट उतरवाई जाकर पूर्व की भांति साफ पानी मंगवाया जाकर एक कांच के गिलास में पूर्व की भांति सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जाकर आरोपी के पहनी हुई काले रंग की पेंट की पीछे की बायीं साईड की जेब को उलटा कर घोल में डालने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसको दो कांच की शीशीयों में आधा आधा डालकर शील्ड चिट कर मार्क "P-1" "P-2" अंकित कर आरोपी की पेंट की पीछे की जेब को सुखवाकर जेब पर गवाह व संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क "P" अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

आरोपी श्री विनोद गुप्ता से पूछा गया कि आपके पास परिवादी श्री अमिताभ शर्मा की मां कांता शर्मा व ताउजी मधुसुदन की पूरक पट्टा समझौता पंजीयन पत्र कैसे आया व उप पंजीयक कार्यालय में से किसके द्वारा आपको दी गई के बारे में पूछा तो आरोपी श्री विनोद गुप्ता ने बताया कि परिवादी अमिताभ शर्मा के कहने पर मैंने पंजीयन बाबु पायल शर्मा से प्राप्त कर श्री अमिताभ शर्मा को दी थी। इसके बाद बताया कि मैंने खुद ही प्राप्त कर ली थी इस पर उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित बाबु श्रीमती पायल शर्मा को तलब कर पूछा गया कि क्या आपने आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू को मैसर्स श्री गोविन्दम ग्राइडिंग मील, श्री मधुसुदन शर्मा व श्रीमती कांता शर्मा की रजिस्ट्री दी गई व कब दी गई के बारे में पूछा गया तो श्रीमती पायल शर्मा ने बताया कि मेरी तो नई नौकरी है मुझे पूर्व तहसीलदार/उप पंजीयक दिनेश मीणा व वर्तमान



तहसीलदार/उप पंजीयक राजेन्द्र मोहन ने मौखिक निर्देश प्रदान किये थे कि श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू जो भी रजिस्ट्री लेने आये व रजिस्ट्री श्री विनोद गुप्ता को दे देना मेरे द्वारा विनोद गुप्ता व अन्य रजिस्ट्रीयां विनोद गुप्ता को देने के लिए कोई रिश्वत राशि मैंने नहीं ली है। श्रीमति पायल शर्मा को पंजीकृत दस्तावेज लौटाने का डिलेवरी रजिस्टर प्रस्तुत करने का कहा तो एक रजिस्टर प्रस्तुत किया गया जिसमें श्री मधुसुदन शर्मा व श्रीमति कांता शर्मा का दस्तावेज डिस्पेच नहीं होना पाया गया। जिस पर पुनः श्रीमति पायल शर्मा से पूछा गया तो बताया कि दिनांक 28.02.2022 को श्री विनोद गुप्ता ने अपने स्तर से ही उक्त रजिस्ट्री प्राप्त कर ली होगी। उक्त रजिस्ट्री मेरे पास होती तो मैं इसको डिस्पेच करवाकर ही सुपूद करती। कार्यालय के तत्कालीन उप पंजीयक व वर्तमान उप पंजीयक द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना मैं ही मैंने रजिस्ट्रीयां संबंधित को सुपूद की हैं। डिलेवरी रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो रजिस्ट्रीयां संबंधित को देने के लिए डिस्पेच व उनके समक्ष प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर होना पाये गये। श्रीमति पायल शर्मा के पृथम दृष्टया संलिप्तता प्रतीत नहीं होना पाई गई। इसके पश्चात उक्त डाक्यूमेंट सुपूदगी रजिस्टर पेज नम्बर 01 से पेज नम्बर 116 तक होकर दिनांक 09.12.2019 से पेज नम्बर 25 तक रजिस्ट्रीयां सुपूद करने का उल्लेख है पेज नम्बर 26 खाली व पेज नम्बर 27 दिनांक 21.02.2022 से दिनांक 07.03.2022 पेज संख्या 30 तक दस्तावेज लौटाये जाने का उल्लेख है पेज संख्या 31 से पेज संख्या 116 तक खाली होना पाया गये उक्त रजिस्टर प्रकरण में जरिये फर्द पृथक से वजह सबूत जप्त कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। कार्यालय उप पंजीयक जिला दौसा में उप पंजीयक व अन्य स्टाफ उपस्थित नहीं मिला मौके पर एक श्रीमती पायल शर्मा कनिष्ठ सहायक उपस्थित मिली जो कम्प्यूटर कक्ष में कार्य कर रही थी।

इसके पश्चात परिवादी श्री अमिताभ शर्मा को आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू द्वारा दी गई रजिस्ट्री/पूरक पट्टा समझौता प्रस्तुत करने के लिए कहा जाने पर परिवादी ने अपने पास से रसीद नम्बर 2022020710021842 दिनांक 28.02.2022 की मूल प्रति किता 01 से 06 व मूल की तृतीय प्रति किता 01 से 05 प्रस्तुत की गई। परिवादी श्री अमिताभ शर्मा का कार्य रीको में लम्बित होने से उक्त मूल पूरक पट्टा समझौता जिसमें दी राजस्थान स्टेट डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन व मैसर्स श्री गोविन्दम ग्राइडिंग मील, साझेदार श्री मधुसुदन शर्मा पुत्र श्री छोटेलाल एवं श्रीमती कांता शर्मा पत्नि स्व० श्री दीपंकर शर्मा के नाम दिनांक 28.02.2022 पंजीकृत होना जिसमें गवाह श्री गौरव शर्मा व मनोज कुमार गुप्ता हैं व रजिस्ट्रेशन पर 1050/- रुपये का व 500/- रुपये का स्टाम्प व तीन पाई पेपर पर लिखा पढी है जिसके कारण उक्त मूल रजिस्ट्री परिवादी के कार्य में विलम्ब नहीं होने व सुचारु रूप से होने के लिए परिवादी को पुनः सुपूद की गई व तृतीय प्रति पूरक पट्टा समझौता पर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी ली गई। पूर्व में प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकार्डर को प्राप्त कर सुना तो रिश्वत राशि लेन देन की वार्ता दर्ज होना पायी गयी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जायेगी। आरोपी जिस गाडी से आया था जिसके बारे में आरोपी से नम्बर पूछा गया तो आरोपी ने अपनी गाडी वेगनार रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 29 सीए 3166 होना बताया व चाबी प्रस्तुत की गई। जिसकी फर्द खाना तलाशी पृथक से ली जाने पर कुछ रजिस्ट्रीयां मिली।

इसके पश्चात कार्यालय उप पंजीयक जिला दौसा में कार्यरत सुश्री पायल शर्मा कनिष्ठ सहायक को मन् पुलिस निरीक्षक ने उप पंजीयक कार्यालय में क्रेता को दी जाने वाली रजिस्ट्रीयां को सुपूद करने के रजिस्टर को पेश करने के लिए कहा तो श्रीमति पायल शर्मा ने एक केसरिया रंग का रजिस्टर जिसका कवर फटा हुआ प्रस्तुत किया जिसके अन्दर के पृष्ठ पर डाक्यूमेंट डिलेवरी रजिस्टर अंग्रेजी में लिखा होना पाया गया। उक्त रजिस्टर में परिवादी श्री अमिताभ शर्मा के ताउजी मधुसुदन शर्मा व माताजी श्रीमति कांता शर्मा के नाम से पंजीकृत पूरक पट्टा समझौता/लीज डीड को किसको व कब सुपूद किये जाने के बारे में पूछा गया तो उक्त रजिस्टर में इंद्राज नहीं होना पाया गया। उक्त रजिस्टर की ट्रेप कार्यवाही व अग्रिम अनुसंधान में आवश्यकता होने से प्रथम व अन्तिम पेज पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया।

ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 43 साल निवासी चौधरी कॉलोनी दौसा पुलिस थाना कोतवाली हाल डीड राईटर प्राइवेट व्यक्ति (दलाल) कार्यालय उप पंजीयक दौसा द्वारा परिवादी श्री अमिताभ शर्मा के पिताजी स्व श्री दीपंकर शर्मा व ताउजी श्री मधुसुदन शर्मा के नाम से रीको दौसा में स्थित भूखण्ड एच 5 परिवादी के पिता की मृत्यु के पश्चात परिवादी की माताजी श्रीमती कांता शर्मा व ताउजी श्री मधुसुदन शर्मा के नाम 1/2 हिस्सा का पंजीयन रीको का भूखण्ड होने से उप पंजीयक कार्यालय में दो बार होने से उक्त भूखण्ड का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जिला दौसा में दिनांक 28.02.2022 को किया जाने के दौरान आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटू पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 43 साल निवासी चौधरी कॉलोनी दौसा पुलिस थाना कोतवाली हाल डीड राईटर प्राइवेट व्यक्ति (दलाल) उप पंजीयक कार्यालय दौसा ने 8000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 28.02.2022 को 4,000/- रुपये की रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त करना एवं आरोपी श्री विनोद गुप्ता द्वारा परिवादी को उक्त रजिस्ट्री/लीज डीड/पूरक पट्टा समझौता को लौटाने की एवज में कुल 8,000/- रुपये रिश्वत राशि तहसीलदार/ उप पंजीयक व अन्य स्टाफ के लिए दिनांक 04.03.2022 को



रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान करना पाया गया। आज दिनांक 08.03.2022 को अपनी मांग के अनुशरण में परिवादी श्री अमिताभ शर्मा से शेष रिश्वत राशि 4,000/- रुपये में से 3,000/- रुपये की रिश्वत राशि अपने दोनो हाथों से प्राप्त कर गिनकर अपने पहने हुए पेंट के पीछे की बायीं साईड की जेब में रखने से हुबहु बरामद होने एवं आरोपी के दोनो हाथों की अंगुलियों व अंगुठे व पहनी हुई पेंट की पीछे वाली बायीं साईड की जेब का धोवन का रंग गुलाबी होना पाया जाने से आरोपी श्री विनोद गुप्ता का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7ए पीसी एक्ट का प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की जाकर शामिल कारवाई की गयी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिण्डु पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 43 साल निवासी चौधरी कॉलोनी दौसा पुलिस थाना कोतवाली हाल डीड राईटर प्राइवेट व्यक्ति (दलाल) उप पंजीयक कार्यालय दौसा को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द निरीक्षण घटनास्थल तैयार कर शामिल कारवाई किया गया।

आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता को दी गयी। उपस्थित आये चाचा को जामा तलाशी में मिले 30650/- रुपये, एक सोने जैसी धातु की अंगुठी व एक सोने जैसी धातु की चैन व एक पीले रंग की टाईटन कम्पनी की घड़ी पाये गये रसीदन सुपुर्द किया गया। प्रकरण का आरोपी विनोद गुप्ता वाहन आरजे 29 सीए 3166 बरंग सिलेटी से सवार होकर परिवादी श्री अमिताभ शर्मा से रिश्वत प्राप्त करने के लिये आया था। प्रकरण का आरोपी श्री विनोद गुप्ता रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.03.2022 को परिवादी श्री अमिताभ शर्मा को उक्त गाडी में बिठाकर मूल रजिस्ट्री दी थी तथा 4000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई थी परिवादी द्वारा रिश्वत राशि नहीं दी जाने पर पुनः परिवादी से प्राप्त कर ली गई थी। उक्त वैगनार गाडी रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 29 सीए 3166 बरंग सिलेटी की खाना तलाशी ली जाने पर खाना तलाशी के दौरान 22 मूल रजिस्ट्रीयां/रजिस्टर्ड पट्टा/पूरक समझौता पत्र/हक त्याग/मुख्तयारनामा आम /उपहार पाई गई। आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिण्डू को पूछा गया कि उक्त मूल रजिस्ट्रीयां आपके पास कैसे आई व उप पंजीयक कार्यालय दौसा से किसके द्वारा आपको दी गई जिस पर आरोपी ने बताया कि मुझे पार्टीयां कह के गई थी श्री विनोद गुप्ता से पूछा कि क्या आपको उक्त रजिस्ट्रीयां सुश्री पायल शर्मा ने दी हैं तथा क्या आपने पायल शर्मा से उक्त रजिस्ट्रीयां प्राप्त करने के लिये पैसे दिये हो इस पर श्री विनोद गुप्ता ने बताया कि पायल शर्मा से उक्त रजिस्ट्रीयां प्राप्त नहीं की हैं न ही कोई रिश्वत दी है।

आरोपी की कार में से मूल रजिस्ट्रीयां/ रजिस्टर्ड पट्टा/पूरक समझौता पत्र/हक त्याग/मुख्तयारनामा/उपहार पाई गई उक्त मूल रजिस्ट्रीयां सम्बन्धित क्रेता पक्ष को सुपुर्द की जाने व उनके कार्य में व्यवधान व विलम्ब नहीं होने की स्थिति में जिला प्रशासन दौसा को मौके पर किसी अधिकारी को भिजवाने के लिये निवेदन किया जाने पर श्री रामस्वरूप मीणा पुत्र श्री जयराम मीणा जाति मीणा उम्र 42 साल निवासी गांव गढ तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल नायब तहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा उपस्थित कार्यालय आये तत्पश्चात उक्त रजिस्ट्रीयां उनको सुपुर्द करने व उक्त रजिस्ट्रीयां की प्रमाणित फोटोप्रतियां उपलब्ध करवाने के लिये निर्देशित किया जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा क्रम संख्या 01 से 22 तक के दस्तावेजों की प्रमाणित फोटोप्रतियां प्रस्तुत की गई जो प्रकरण में वांछित होने से जप्त कर कब्जे एसीबी ली गई व मूल रजिस्ट्रीयां/ रजिस्टर्ड पट्टा/पूरक समझौता पत्र/हक त्याग/मुख्तयारनामा/उपहार सम्बन्धित क्रेतागण को सुपुर्द करने के लिए श्री रामस्वरूप मीणा नायब तहसीलदार भाण्डारेज को सुपुर्द की गई। व आरोपी की वैगनार गाडी रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 29 सीए 3166 की चाबी आरोपी के कहे अनुसार चाचा रमेश खण्डेलवाल को सुपुर्द की गई। उक्त रजिस्ट्रीयां की प्रमाणित प्रतियां को आरोपी श्री विनोद गुप्ता के कब्जे में पाई जाने से बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया।

इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री विनोद गुप्ता मय शील्ड शुदा रिश्वत राशि मय हमराहियान के रवाना होकर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया। शील्ड शुदा रिश्वत राशि व आर्टीकल्स को कार्यालय की अलमारी में दुरुस्त रखा गया। परिवादी व गवाहान को दिनांक 09.03.2022 को कार्यालय पर उपस्थित होने के लिये हिदायत कर रूखस्त किया गया। आरोपी का कोविड-19 व स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। दिनांक 09.03.2022 को परिवादी व गवाहान के उपस्थित आने पर रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता दिनांक 08.03.2022 की फर्द ट्रांसक्रिप्शन तैयार कर तीन सीडीयां तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये जाकर व मार्क बी,बी-1 को शील्ड मोहर किया गया व मार्क बी-2 को अनुसंधान अधिकारियों के लिये खुली रखी गयी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री विनोद गुप्ता को अपनी आवाज का नमूना देने के लिये जरिये फर्द प्राप्ति आवाज नमूना के कहा जाने पर आरोपी श्री विनोद गुप्ता द्वारा अपनी आवाज का नमूना नहीं देने के लिये इन्कार किया गया। इसके पश्चात फर्द नमूना सील तैयार की जाकर शामिल कारवाई की गयी। परिवादी व गवाहन को रूखस्त किया गया। ट्रेप कार्यवाही में जप्त व शील्ड शुदा आर्टीकल्स व शील्ड शुदा रिश्वत को जरिये पत्र जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी श्री अमिताभ शर्मा ने ताउजी मधुसुदन शर्मा व माताजी श्रीमति कांता शर्मा के नाम से पंजीकृत पूरक पट्टा समझौता/लीज डीड की



कार्यवाही हेतु उप पंजीयक कार्यालय दौसा में पंजीकृत करवाने के लिए दिनांक 26.02.2022 को ऑनलाईन आवेदन किया था जिसका अदायगी शुल्क परिवारी द्वारा अपने एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग से खाता संख्या 50100080000071 शाखा लालसौट से श्री विनोद गुप्ता के कहने पर भुगतान किया गया था उस समय परिवारी के मोबाइल पर सीटीजन रेफरेन्स नम्बर 22022610299 ई पंजीयन जीओआर से मैसेज आया था उक्त रजिस्ट्री प्राप्त करने हेतु परिवारी दिनांक 28.02.2022 को उप पंजीयक कार्यालय दौसा गया तो श्री विनोद गुप्ता ने परिवारी को अपने घर पर बुलाया घर बुलाकर श्री विनोद गुप्ता ने परिवारी के दस्तावेज लिए और अपनी लॉगिन आईडी से परिवारी का चालान काटा गया। व बताया कि सोमवार दिनांक 28.02.2022 को उप पंजीयक कार्यालय दौसा में आ जाना जिस पर परिवारी व परिवारी की माताजी व परिवारी के ताउजी व दो गवाह उप पंजीयक कार्यालय दौसा में उपस्थित हुए।

दिनांक 28.02.2022 को आरोपी विनोद गुप्ता ने परिवारी को उस समय कहा कि इस समय सर्वर डाउन चल रहा है व उसी समय थोड़ी देर बाद परिवारी से बोला कि ऑपरेटर ने 5000/- रुपये की मांग की है जिस पर विनोद गुप्ता ने कहा कि ये 5000/- रुपये लेगा तब ही काम होगा अन्यथा इसमें कोई कमी निकाल देगा जिसके अनुशरण में परिवारी ने 4000/- रुपये अपनी इच्छा नहीं होते हुए भी आरोपी विनोद गुप्ता को दिये। जिस पर आरोपी द्वारा पूरी कार्यवाही के लिए 8000/- रुपये की मांग की गयी। परिवारी श्री अमिताभ शर्मा द्वारा दिनांक 02.03.2022 को ब्यूरो कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था उसमें परिवारी द्वारा यह कहा गया है कि विनोद गुप्ता ने मेरे से ऑपरेटर के नाम पर 4000/- रुपये प्राप्त किये व परिवारी व आरोपी विनोद गुप्ता के संबंध में सत्यापन वार्ता करवायी गई जिसमें आरोपी परिवारी को कहता है **ये ल्यो** (परिवारी ने बताया कि इस समय विनोद ने मेरे को मेरे पंजीकृत दस्तावेजों की पत्रावली मेरे हाथ में देने लगा) ठीक जिस पर आरोपी पुनः कहता है **पेमेन्ट**, परिवारी कहता है **कितना देना है**, आरोपी कहता है **चार हजार**, परिवारी कहता है **ये काई थोड़ा कम व**


जिस पर आरोपी कहता **जो चीज मने एक देखा म्हारो सिद्धांत बिल्कुल इतना लग है रोक दियो थे कह दियो ये चीज है कहा करो कर दियो थे कहता नी भाई साहब अबार दूसरो बोल्यो म कोनी द्यू पीसा भाई ले जा मार्क करा ब अबार दूसरो मार्क करा ब गया लिख दी तहसीलदार भाई तू खुद करा, चाही मत करा म्हारी टेंशन कोनी**, परिवारी कहता है **चार आपने वहां दिलवा दिया** आरोपी कहता है **हॉ**, परिवारी कहता है **इक बाद म रजिस्ट्रार साहब तहसीलदार उनको भी जाता होगा** आरोपी विनोद कहता है **सब क पास पीसो बट छः सबके पास जाता है पैसा ऐसे नहीं होता काम**(जिससे स्पष्ट है कि आरोपी श्री विनोद गुप्ता कार्यालय उप पंजीयक जिला दौसा में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों लोकसेवकों के नाम पर परिवारी से रिश्वत राशि की मांग करता है।)

आरोपी श्री विनोद गुप्ता द्वारा परिवारी को उक्त रजिस्ट्री/लीज डीड/पूरक पट्टा समझौता को लौटाने की एवज में कुल 8,000/- रुपये रिश्वत राशि तहसीलदार/ उप पंजीयक व अन्य स्टाफ के लिए दिनांक 04.03.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान करना पाया गया। सत्यापन वार्ता के दौरान परिवारी से उसके वैध कार्य की एवज में बाकी बचे 4000/- रुपये की मांग की व उक्त वार्ता में आरोपी द्वारा कहा गया कि मैं तहसीलदार से मार्क कराता हूं व उक्त रजिस्ट्री की कार्यवाही करवाने के संबंध में आरोपी कहता है कि ये एक आदमी के पास थोड़े ना होते हैं जिस पर परिवारी पूछता है कि इसके बाद रजिस्ट्रार साहब व तहसीलदार साहब के पास भी जाता होगा जिस पर आरोपी कहता है **ये पैसा सबके पास बंटता है।** जिससे स्पष्ट होता है कि परिवारी से आरोपी विनोद गुप्ता द्वारा रजिस्ट्रार व तहसीलदार व अन्य स्टाफ के नाम पर रिश्वत राशि मांग की गई है।

आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिन्टु पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 43 साल निवासी चौधरी कॉलोनी दौसा पुलिस थाना कोतवाली हाल डीड राईटर प्राइवेट व्यक्ति (दलाल) कार्यालय उप पंजीयक दौसा द्वारा परिवारी श्री अमिताभ शर्मा के पिताजी स्व श्री दीपंकर शर्मा व ताउजी श्री मधुसुदन शर्मा के नाम से रीको दौसा में स्थित भूखण्ड एच 5 परिवारी के पिता की मृत्यु के पश्चात परिवारी की माताजी श्रीमती कांता शर्मा व ताउजी श्री मधुसुदन शर्मा के नाम 1/2 हिस्सा का पंजीयन रीको का भूखण्ड होने से उप पंजीयक कार्यालय में दो बार होने से उक्त भूखण्ड का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जिला दौसा में दिनांक 28.02.2022 को किया जाने के दौरान आरोपी श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिन्टु पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता जाति महाजन उम्र 43 साल निवासी चौधरी कॉलोनी दौसा पुलिस थाना कोतवाली हाल डीड राईटर प्राइवेट व्यक्ति (दलाल) उप पंजीयक कार्यालय दौसा ने 8000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 28.02.2022 को अपनी मांग के अनुशरण में शेष रिश्वत राशि 4000/- रुपये में से परिवारी द्वारा कुछ कम करने का कहने पर 3500/- रुपये रुपये के लिये कहों गया व परिवारी से 3000/- रुपये की रिश्वत राशि अपने दोनों हाथों से प्राप्त कर गिनकर अपने पहने हुए पेन्ट के पीछे की बायीं साईड की जेब में रखने से हुबहु बरामद होने एवं आरोपी के दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे व पहनी हुई पैंट की पीछे वाली बायीं साईड की जेब का धोवन का रंग गुलाबी होना पाया गया।

आरोपी श्री विनोद गुप्ता द्वारा परिवारी श्री अमिताभ शर्मा को उसके परिजनों के भूखण्ड की रजिस्ट्री/पूरक पट्टा समझौता भी दी थी ट्रेप कार्यवाही के दौरान उप पंजीयक कार्यालय का दस्तावेज


डिलेवरी रजिस्टर जप्त किया गया उसमें परिवादी की रजिस्ट्री का इंड्राज नहीं होना पाया गया था जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त रजिस्ट्री आरोपी द्वारा सीधे ही तत्कालीन तहसीलदार श्री दिनेश मीणा द्वारा अपने स्तर पर करायी जाकर अपने कब्जे में रख ली जबकि उक्त दस्तावेज कार्यालय रजिस्टर में इंड्राज होकर ही परिवादी पक्ष को दिया जाना था। उक्त रजिस्ट्री के पंजीयन में तत्कालीन तहसीलदार श्री दिनेश मीणा व तत्कालीन ऑपरेटर की भूमिका संदिग्ध पायी गयी। आरोपी श्री विनोद गुप्ता की वैगनार गाडी आरजे 29 सीए 3166 से अन्य पंजीकृत दस्तावेज भी मिले हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि उप पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत रजिस्ट्रीयों में क्रेता पक्ष से उप पंजीयक/तहसीलदार/अन्य स्टाफ द्वारा रिश्वत राशि के रूप में वैध राशि के अलावा वसूला जाता था व उक्त सुविधा शुल्क प्राप्त कर ही संबंधित क्रेतागण को पंजीकृत दस्तावेज दलाल श्री विनोद गुप्ता को संबंधित क्रेतापक्ष से अवैध राशि वसूलने के लिए सीधे व डिलेवरी रजिस्टर में विनोद गुप्ता के हस्ताक्षर करवाकर दी जाती थी। जिससे उक्त सभी की आपसी मिलीभगत व संलिप्तता व षडयंत्र में शामिल होने की पुष्टि होने से श्री विनोद गुप्ता डीड राईटर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) व श्री दिनेश मीणा तत्कालीन तहसीलदार/उप पंजीयक जिला दौसा व अन्य के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द. का अपराध कारित करना पाया गया। जिनकी संलिप्तता के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान किया जाना आवश्यक होने से उपरोक्त के विरुद्ध विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

  
( नरेन्द्र सिंह )  
पुलिस निरीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
एस.यू.-1जयपुर।



कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-1, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1. श्री विनोद गुप्ता उर्फ पिंटु पुत्र श्री गोपाल लाल गुप्ता निवासी चौधरी कॉलोनी, दौसा हाल डीड राईटर प्राईवेट व्यक्ति(दलाल) कार्यालय उप पंजीयक कार्यालय दौसा एवं 2. श्री दिनेश मीणा, तत्कालीन उप पंजीयक, जिला दौसा एवं अन्य के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 83/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक : 746-50 दिनांक 9.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, एसयू-1 जयपुर।

  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।